



भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा

प्रलिस के लिये: [उभयलिंगी व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) अधिनियम, 2019](#), [NALSA नरिणय 2014](#), [उभयलिंगी व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) नयिम, 2020](#), गरमि गृह ।

मेन्स के लिये: भारतीय समाज और ट्रांसजेंडरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुधार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम - प्रावधान और संबंधित चिंताएँ ।

स्रोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(National Human Rights Commission- NHRC\)](#) ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रणालीगत भेदभाव को दूर करना, संस्थागत समर्थन को मज़बूत करना और भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करना था ।

भारत में कानूनी और संवैधानिक ढाँचा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कैसे कायम रखता है?

ट्रांसजेंडर

- परभाषा: [उभयलिंगी व्यक्ति \(अधिकारों का संरक्षण\) अधिनियम, 2019](#) के अनुसार, ट्रांसजेंडर अथवा उभयलिंगी व्यक्ति वह होता है जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लैंगिक विशेषताओं से सुमेलित नहीं होती है ।
- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या लगभग 4.8 मिलियन है ।
 - इसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, जेंडर-क्वीर और सामाजिक-सांस्कृतिक असमता वाले व्यक्ति जैसे कनिनर, हजिडा, आरावानी और जोगता शामिल हैं ।
- LGBTQIA+ का हिसा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति [LGBTQIA+](#) समुदाय का हिस्सा हैं, जिन्हें संक्षिप्त नाम में "T" द्वारा दर्शाया गया है ।
 - LGBTQIA+ एक संक्षिप्त (शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना शब्द) है जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल का प्रतिनिधित्व करता है ।
 - "+" उन अनेक अन्य असमताओं को दर्शाता है जिनकी पहचान प्रकिया और अवबोधन वर्तमान में जारी है । इस संक्षिप्त में नरितर परिवर्तन जारी है और इसमें नॉन-बाइनरी और पैन्सेक्सुअल जैसे अन्य पद भी शामिल किये जा सकते हैं ।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है ।
 - प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
 - भेदभाव न करना: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है ।
 - स्व-पहचान: यह अधिनियम स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रमाण-पत्र ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बना मेडिकल परीक्षण के जारी किया जाता है ।
 - चिकित्सा देखभाल: बीमा कवरेज के साथ लैंगिक-पुष्टि उपचार (Gender-Affirming Treatments) और HIV निगरानी तक पहुँच सुनिश्चित करता है ।
 - वैधानिक संस्थागत तंत्र: कल्याणकारी नीतियों पर केंद्र सरकार को सलाह देने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का समन्वय करने के लिये [राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद \(NCTP\)](#) की स्थापना की गई है ।
- ऐतिहासिक नरिणय:

- **नालसा बनाम भारत संघ (2014):** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी, तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा माना।
 - इस बात पर बल दिया गया कि **संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21** के तहत लैंगिक पहचान सम्मान, समानता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का अभिन्न अंग है।
 - ट्रांसजेंडर अधिकारों को केवल कानूनी पहचान के रूप में नहीं बल्कि मानव अधिकारों के रूप में देखा जाना चाहिये।
- **सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय (HC)** ने अभिनिरिधारित कथि, **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** और **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020** के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में परिवर्तन कथि जाने की स्पष्ट अनुमति है।
- **नरिवाचन आयोग का नरिदेश (वर्ष 2009):** पंजीकरण फॉर्म को अद्यतन कर उसमें “अन्य” वकिल्प शामिल कथि गया, जससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला पहचान से बचने में मदद मिली।

LGBTQ+

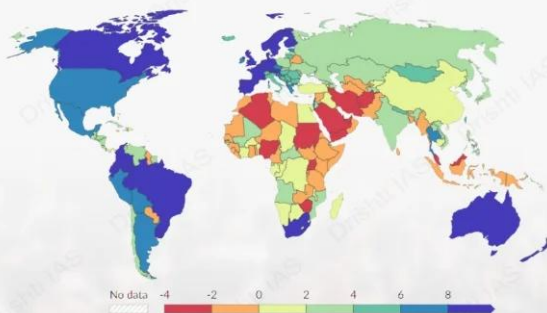
LGBTQ+ लोगों की एक व्यापक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्हें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वीर के रूप में जाना जाता है। प्रयुक्त शब्दावली में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्नता है।

LGBTQ+ के खिलाफ भेदभाव

- ⓧ लैंगिक अभिव्यक्तियों के आधार पर
- ⓧ लैंगिक पहचान के आधार पर
- ⓧ लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर
- ⓧ लैंगिक विशेषताओं के आधार पर

LGBTQ+ अधिकारों की वैश्विक स्थिति

- ⓧ सूचकांक मापता है कि LGBTQ+ और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को किस हद तक विषमलैंगिक व सिजेंडर लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह समलैंगिक संबंधों और विवाह की वैधता जैसी 18 अलग-अलग नीतियों पर विचार करता है। सूचकांक में उच्च मान का अर्थ है अधिक अधिकार, जबकि नकारात्मक मान प्रतिगामी नीतियों का सूचक है।



SINCE 1982...



TODAY...



- ⓧ **प्राइड मंथ:** जून
- ⓧ **11 अक्तूबर:** नेशनल कर्मिंग आउट डे

भारत में LGBTQ+ अधिकारों का इतिहास

- ⓧ **1992:** समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की मांग को लेकर पहली बार विरोध प्रदर्शन
- ⓧ **1994:** एक NGO ने IPC की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जिसे वर्ष 2001 में खारिज कर दिया गया
- ⓧ **1999:** भारत की पहली प्राइड परेड (दक्षिण एशिया की भी पहली)
- ⓧ **2009:** नाज़ फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार मामला (दिल्ली उच्च न्यायालय में) - सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानना निजता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है
- ⓧ **2013:** सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया
- ⓧ **2015:** समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग वाला एक निजी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया
- ⓧ **2017:** न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार बताया
- ⓧ **2018:** नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया
- ⓧ **2019:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण का प्रावधान।

समलैंगिक विवाह की वर्तमान स्थिति

- ⓧ **2023:** सुप्रियो बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया साथ ही समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीमांतकरण:** प्रगतशील वधिक नरिण्यों (राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ-2014) के बावजूद, ऐतिहासिक अदृश्यता सामाजिक और आर्थिक समावेशन को प्रभावित करती रहती है।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कलंक, उत्पीड़न और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। NALSA के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 27% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया गया।
 - **लिंग-पुष्टि उपचार** की लागत 2-5 लाख रुपए होती है और यह प्रायः बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होता। **आयुष्मान भारत TG प्लस** योजना चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, कति इसकी जागरूकता और उपलब्धता सीमित है।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **साक्षरता दर 56.1%** (वर्ष 2011 की जनगणना) है, जो राष्ट्रीय औसत **74%** से काफी कम है, और यह पूरे देश में **लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम** की कमी को रेखांकित करता है।
- **आर्थिक बहिष्कार:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार में पक्षपात, कार्यस्थल पर शत्रुता और लैंगिक-तटस्थ सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
 - **92% ट्रांसजेंडर आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं** (NHRC 2018) और **48% बेरोजगार** (ILO 2022) हैं।
 - वर्ष 2024 के RBI परपत्र जारी करने के बावजूद, ट्रांसजेंडर और क्वियर व्यक्तियों को संयुक्त बैंक खाता खोलने और अपने साथी को नामित करने की अनुमति दी है, फरि भी संस्थागत खामियों और जागरूकता की कमी के कारण वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित बनी हुई है।
- **कानून प्रवर्तन और सामाजिक संरक्षण की कमियाँ:** गरमि गृह आश्रय, यद्यपि अपने उद्देश्य में प्रगतशील हैं, लेकिन इन्हें अपर्याप्त वित्तपोषण, सीमित जागरूकता और राज्य स्तर पर सीमित कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
 - वर्ष 2019 के अधिनियम के बावजूद, पहचान-पत्र जारी करने में चुनौतियाँ, जटिल प्रमाणन प्रक्रियाएँ, तथा पुलिस उत्पीड़न और पारिवारिक अस्वीकृति जैसी समस्याएँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्व-पहचान और समय पर सहायता प्राप्त करने में बाधा बनी हुई हैं।
 - बाल संरक्षण और वृद्ध देखभाल के लिये संस्थागत तंत्र प्रायः लैंगिक-विविध व्यक्तियों को बाहर कर देते हैं।



What the students face

- Stigma and bullying in society and at school
- None at home or school to share feelings with
- Homelessness, when parents and siblings disown them
- Lack of gender-neutral washrooms

What can be done

- Adopt school/college policies and activities that prevent bullying
- Expand mental health resources and socio-psychological counselling
- Ensure that they are not subjected to discriminatory discipline

भारत में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए प्रमुख उपाय

- **SMILE योजना** और **गरमि गृह** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये पुनर्वास, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका सहायता प्रदान करते हैं।
- **आयुष्मान भारत TG प्लस** लिंग-पुष्टिकरण उपचारों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये **राष्ट्रीय पोर्टल योजनाओं, सेवाओं और शिकायत नविवरण** तक पहुँच को सुगम बनाता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **द्वियांग पेंशन योजना** में एक अलग “ट्रांसजेंडर” वकिलप के साथ शामिल किया गया है।
- **गृह मंत्रालय (2022)** ने जेलों में तृतीय-लिंग कैदियों की गोपनीयता और गरमि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- **राज्य-स्तरीय पहलों** के अंतर्गत **महाराष्ट्र** ने कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किये हैं, जबकि **केरल विश्वविद्यालय** स्तर पर आरक्षण और ट्रांसजेंडर वदियार्थियों के लिये छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करता है।

भारत में ट्रांसजेंडर सशक्तीकरण के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **कानूनी ढाँचा:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को शिकायत नविवरण सेल की स्थापना, आवेदनों के लिये एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल, ऑडिट आयोजित करके और पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसजेंडर अधिकारों और लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण देकर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** लैंगिक-समावेशी नीतियों, विविधता-आधारित नयुक्तियों, वित्तीय योजनाओं और उद्यमिता सहायता को बढ़ावा दिया जाए। टाटा स्टील के विविधता कार्यक्रम जैसे सफल कॉरपोरेट मॉडलों का वसितार किया जाए।
 - विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने से भारत के GDP में 1.7% की वृद्धि हो सकती है।
- **सामाजिक सेवाओं तक पहुँच:** विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी नीतियाँ लागू की जाएँ, शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, बुलिंग और भेदभाव को रोका जाए, परामर्श सेवाओं का वसितार किया जाए, लिंग-तटस्थ शौचालय सुनिश्चित किये जाएँ और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिये सहपाठी एवं शिक्षक-समर्थन को बढ़ावा दिया जाए।
 - लिंग-पुष्टिकरण उपचारों के लिये बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए, समरूपता क्लीनिक स्थापित किये जाएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का वसितार किया जाए तथा स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- **जागरूकता अभियान:** लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाए जाएँ, विविध मीडिया प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाए, कूवगम उत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का समर्थन किया जाए और और कलंक को कम करने के लिये “आई एम ऑल्सो ह्यूमन” जैसी मुहिमों को बढ़ावा दिया जाए।

प्रश्न: कानूनी सुरक्षा के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जाँच कीजिये और उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समावेशन को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: भारत में, वधिकि सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), नमिनलखिति में से कसि प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क वधिकि सेवाएँ प्रदान करते हैं? (2020)

1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिकि आय वाले व्यक्ति को
2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिकि आय वाले ट्रांसजेंडर को
3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिकि आय वाले अन्य पछिड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को
4. सभी वरषिठ नागरिकों को

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 4

उत्तर: (a)